07/2/25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील वादी उप. वाद वापिस स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। नतीजतन डिक्री जारी हो। नक्शा से छेक हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2022/68

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.12 11:12:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारीः संदीप कुमार आर. ए. एस.

प्रकरण सं0 222/22 GCMS:-2022/68 दायर दिनांक 17–08–2022

दलीप कुमार पुत्र श्री बनवारीलाल जाति ब्राहम्ण साकिन गोविन्दसर तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

---- वादी

बनाम

1–चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री बनवारीलाल
2–शिवकुमार पुत्र श्री बनवारीलाल
3–कलावती देवी पत्नी श्री बनवारीलाल
4–तृप्तादेवी पुत्री श्री बनवारीलाल
5–मीरादेवी पुत्री श्री बनवारीलाल

} अकवाम ब्राहम्ण साकिनान गोविन्दसर तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

6– शाखा प्रबन्धक एस बी बी जे एडीबी वर्तमान बैंक एस बी आई एडीबी सूरतगढ
7–उप पंजीयक महोदय सूरतगढ
8– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ ।

प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 209 राज0 काश्त0 अधि0 1955

उपस्थित :–

1– कमलदत शर्मा अभिभाषक वादी ।

2– पैरोकार राज तहसीलदार, सूरतगढ ।

–:– निर्णय –:– दिनांक :– 07.02.2025

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक वादी एव पेरोकार राज उपस्थित। उभय पक्षो को सुना गया। प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी न0 1 ता 5 के नाम से संयुक्त खाते की भूमि वाके चक 1 जी डी एस एम के खाता सं0 12/49 के पं0 न0 39/29 मु0 न0 98 के किला न0 5–6–11–16–20 ता 25/2.530 है0 क0 खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है। वादी व प्रतिवादी न0 1 ता 5 के नाम से संयुक्त खाते की भूमि वाके चक 2 जी डी एस एम के खाता सं0 22/26 के प0 न0 80/29 मु0न0 134 के किला न0 1 ता 25/6.325 है0 अ0क0, प0 न0 80/37 मु0 न0 135 के किला न0 1/2 ता 25/6.200है0 कुल 12.325 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है। जैरवाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 5 को अपने पिता/पति बनवारीलाल पुत्र श्री सुरजाराम से विरास्तन प्राप्त हुई है। जैरवाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 की माता प्रतिवादी न0 3 एवं वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 की बहने प्रतिवादी सं0 4 व 5 ने जैरवाद भूमि में अपने हक व हिस्सा की भूमि को घरू बंटवारा कर वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 को बहिस्सा बराबर बांट कर दे रखी है । प्रतिवादी सं0 3 ता 5 उक्त भूमि में किसी प्रकार का हक व हिस्सा प्राप्त नही करना चाहते है। इसलिए जैरवाद भूमि मे वादी का 1/3 हिस्सा भूमि घरू बंटवारा में मिली है। जिसकी घोषणा करवाने का वादी कानूनी हकदार है। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 के द्वारा संयुक्त खाते की भूमि वाके चक 1 जी डी एस एम के खाता सं0 12/49 की 2.530 है0 क0 खातेदारी भूमि एवं चक 2 जी डी एस एम के खाता सं0 22/26 की कुल 12.325 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि का आपसी सहमति के आधार पर घरू बंटवारा आज से करीब 25 वर्ष पूर्व किया जा चुका है। तथा इसी घरेलू बंटवारे के मुताबिक ही वादी काश्त करता आ रहा है। वादी के कब्जा काश्त में भूमि वाके चक 1 जी डी एस एम के खाता सं0 12/49 के पं0 न0 39/29 मु0 न0 98 के किला न0 21/0.084 है0 पूर्वी पासा , 22 ता 24/0.759 है0 कुल 0.843 है0 क0 खातेदारी भूमि एवं चक 2 जी

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.12 11:12:01 IST
Reason: SelfAttested

डी एस एम के खाता सं0 22/26 के प0 न0 80/29 मु0न0 134 के किला न0 5-6-15-16-25/1.265 है0 अ0क0, प0 न0 80/37 मु0न0 135 के किला न0 1-2/0.506 है0, 3/0.076 है0 पश्चिमी पासा, 8/0.076 है0 पश्चिमी पासा, 9 ता 12/1.012है0, 13/0.076 है0 पश्चिमी पासा 18/0.076 है0 पश्चिमी पासा, 19 ता 22/1.012है0 अ0क0, 23/0.076 है0 पश्चिमी पासा = 2.910 है0 कुल 4.175 है0 अनकमाण्ड खातेदारी भूमि है जिसका वादी खाता विभाजन करवाना चाहता है । वादी द्वारा आपसी सहमति से घरेलू बंटवारा के मुताबिक इतने वर्षो से कब्जा कास्त किलाजात में आर्थिक एवं कठोर परिश्रम कर कास्त के उपर्युक्त बनाया है तथा उक्त कब्जा कास्त किलाजात में उर्वरक एवं खाद डाल कर जमीन को उपजाऊ बनाया है। जैरवाद भूमि संयुक्त खाता की होने से काफी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है इसलिए वादी खातेदार काश्तकार होने के कारण खाता विभाजन करवाने का मूस्तहक है। इसलिए वादीगण ने उक्त भूमि का खाता विभाजन करने का निवेदन किया।

वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 7 को बार-2 आवाज लगाई गई बावजूद समयक तामिल हाजिर नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही की गई। दावा के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई।

1-आया कि वाके वादी, प्रतिवादी सं0 3 ता 5 का नाम जैरवाद भूमि से कमलमजन कर वादी 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार कृषक है ?

---- वादी

2-आया कि वादी अनुतोष संख्या 02 में अंकित रकबा का अलग से खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है?

---- वादीगण

3- अनुतोष

तनकीयात कायम करने के पश्चात पक्षकारान के साक्ष्य लिये गये। साक्ष्य वादी द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत किये गये तथा प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य नही करवाये गये।

इसके पश्चात वादी के अभिभाषक की बहस सुनी गई। जिसमें वादी के विद्वान अभिभाषक ने दावे के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी न0 1 ता 5 के नाम से संयुक्त खाते की भूमि वाके चक 1 जी डी एस एम के खाता सं0 12/49 के पं0 न0 39/29 मु0 न0 98 के किला न0 5-6-11-16-20 ता 25/2.530 है0 क0 खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है। वादी व प्रतिवादी न0 1 ता 5 के नाम से संयुक्त खाते की भूमि वाके चक 2 जी डी एस एम के खाता सं0 22/26 के प0 न0 80/29 मु0न0 134 के किला न0 1 ता 25/6.325 है0 अ0क0, प0 न0 80/37 मु0 न0 135 के किला न0 1/2 ता 25/6.200है0 कुल 12.325 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है। जैरवाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 5 को अपने पिता/पति बनवारीलाल पुत्र श्री सुरजाराम से विरास्तन प्राप्त हुई है। जैरवाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 की माता प्रतिवादी न0 3 एवं वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 की बहने प्रतिवादी सं0 4 व 5 ने जैरवाद भूमि में अपने हक व हिस्सा की भूमि को घरू बंटवारा कर वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 को बहिस्सा बराबर बांट कर दे रखी है। प्रतिवादी सं0 3 ता 5 जैरवाद भूमि में किसी प्रकार का हक व हिस्सा प्राप्त नही करना चाहते है। इसलिए जैरवाद भूमि मे वादी का 1/3 हिस्सा भूमि घरू बंटवारा में मिली है। जिसकी घोषणा करवाने का वादी कानूनी हकदार है। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 के द्वारा संयुक्त खाते की भूमि वाके चक 1 जी डी एस एम के खाता सं0 12/49 की 2.530 है0 क0 खातेदारी भूमि एवं चक 2 जी डी एस एम के खाता सं0 22/26 की कुल 12.325 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि का आपसी सहमति के द्वारा घरेलू बंटवारा आज से करीब 25 वर्ष पूर्व किया जा चुका है। तथा इसी घरेलू बंटवारे के मुताबिक ही वादी कास्त करता आ रहा है। वादी के कब्जा कास्त में भूमि वाके चक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.12 11:12:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

 (प्र0 सं0 222/22 दलीपकुमार बनाम चन्द्र प्रकाश वगैरा)

1 जी डी एस एम के खाता सं0 12/49 के प0 न0 39/29 मु0 न0 98 के किला न0 21/0.084 है0 पूर्वी पासा , 22 ता 24/0.759 है0 कुल 0.843 है0 क0 खातेदारी भूमि एवं चक 2 जी डी एस एम के खाता सं0 22/26 के प0 न0 80/29 मु0न0 134 के किला न0 5–6–15–16–25/1.265है0 अ0क0, प0 न0 80/37 मु0न0 135 के किला न0 1–2/0.506 है0 , 3/0.076 है0 पश्चिमी पासा , 8/0.076 है0 पश्चिमी पासा , 9 ता 12/1.012है0, 13/0.076 है0 पश्चिमी पासा 18/ 0.076 है0 पश्चिमी पासा, 19 ता 22/1.012है0 अ0क0 , 23/0.076 है0 पश्चिमी पासा = 2.910 है0 कुल 4.175 है0 अनकमाण्ड खातेदारी भूमि है जिसका वादी खाता विभाजन करवाना चाहता है। वादी द्वारा आपसी सहमति से घरेलू बंटवारा के मुताबिक इतने वर्षो से कब्जा कास्त किलाजात में आर्थिक एवं कठोर परिश्रम कर कास्त के उपर्युक्त बनाया है तथा उक्त कब्जा कास्त किलाजात में उर्वरक एवं खाद डाल कर जमीन को उपजाऊ बनाया है। जैरवाद भूमि संयुक्त खाता की होने से काफी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है इसलिए वादी खातेदार काश्तकार होने के कारण खाता विभाजन करवाने का मूश्तहक है। इसलिए वादीगण ने उक्त भूमि का खाता विभाजन करने का निवेदन किया।

बहस सुनने के पश्चात पूर्ण पत्रावली का अवलोकन व मनन किया गया । विस्तुत विवेचन तनकी वाद निम्न प्रकार से है :–

1–आया कि वाके वादी , प्रतिवादी सं0 3 ता 5 का नाम जैरवाद भूमि से कमलमजंन कर वादी 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार कृषक है ?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया जिससे प्रतिवादी सं0 3 ता 5 का नाम कलमजन कर वादी को 1/3 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित किया जा सके । तनकी न0 1 विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

2–आया कि वादी अनुतोष संख्या 02 में अंकित रकबा का अलग से खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है?

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा वाद–पत्र में संयुक्त खाते की जमाबन्दी प्रस्तुत की गई। तथा स्वयं के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किये गये जिसके खण्डन में प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावैज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो सके की वादी के कथन गलत दर्शित किये गये है। इसलिए तनकी न0 2 बहक वादी निर्णित की जाती है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त रकबा वाके चक 1 जी डी एस एम के खाता सं0 12/49 के प0 न0 39/29 मु0 न0 98 के किला न0 5–6–11–16–20 ता 25/2.530 है0 क0 खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है। वादी व प्रतिवादी न0 1 ता 5 के नाम से संयुक्त खाते की भूमि वाके चक 2 जी डी एस एम के खाता सं0 22/26 के प0 न0 80/29 मु0न0 134 के किला न0 1 ता 25/6.325 है0 अ0क0, प0 न0 80/37 मु0 न0 135 के किला न0 1/2 ता 25/6.200है0 कुल 12.325 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि के विभाजन हेतू राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा बनाये गये नियम 18 ता 21 के अनुसरण में वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 5 के मौके पर चले आ रहे कब्जे को ध्यान में रखते हुये उक्त खाते की भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी न0 1 ता 5 के जमाबन्दी में दर्ज हिस्से के मुताबिक भूमि का स्पष्ट नक्शा सहीत विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादी न0 1 ता 5 का अलग–2 तैयार कर प्रस्तुत करे ताकि विभाजन प्रस्ताव का अंतिम आदेश व डिक्री जारी की जा सके ।

इसी अनुसार प्राथमिक डिक्री वास्ते स्वीकृत खाता विभाजन किये जाने हेतू जारी हो। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर पत्रावली वकील वादी के ... पुनः पेशी में ली जावे तब तक नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 07/02/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.12 11:12:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
(राजस्व) सूरतगढ़

(आदेश 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इश्तदाई

अज अदालत –सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी , सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

बइजलास – श्री संदीप कुमार आर. ए. एस.

प्रकरण सं0 222/22

दायर दिनांक 17–08–2024

दलीप कुमार पुत्र श्री बनवारीलाल जाति ब्राहम्ण साकिन गोविन्दसर तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

----- वादी

बनाम

1–चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री बनवारीलाल
2–शिवकुमार पुत्र श्री बनवारीलाल
3–कलावती देवी पत्नी श्री बनवारीलाल
4–तृप्तादेवी पुत्री श्री बनवारीलाल
5–मीरादेवी पुत्री श्री बनवारीलाल

} अकवाम ब्राहम्ण साकिनान गोविन्दसर तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर

6– शाखा प्रबन्धक एस बी बी जे एडीबी वर्तमान बैंक एस बी आई एडीबी सूरतगढ
7–उप पंजीयक महोदय सूरतगढ
8– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ ।

----- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, व 209 आर. टी. ए. मुकदमा न0 222/22 वर्ष यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वादी कमलदत शर्मा के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है ।

वाद वादी स्वीकार कर निम्न प्रकार से आदेशित कर अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश प्रदान किये जाते है :

वाके चक 1 जी डी एस एम के खाता सं0 12/49 के पं0 न0 39/29 मु0 न0 98 के किला न0 5–6–11–16–20 ता 25/2.530 है0 क0 खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है। वादी व प्रतिवादी न0 1 ता 5 के नाम से संयुक्त खाते की भूमि वाके चक 2 जी डी एस एम के खाता सं0 22/26 के प0 न0 80/29 मु0न0 134 के किला न0 1 ता 25/6.325 है0 अ0क0, प0 न0 80/37 मु0 न0 135 के किला न0 1/2 ता 25/6.200है0 कुल 12.325 है0 अ0क0 खातेदारी भूमि के विभाजन हेतू राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा मनाये गये नियम 18 ता 21 के अनुसरण में वादीगण एवं प्रतिवादी 1 ता 5 के मौके पर चले आ रहे कब्जे को ध्यान में रखते हुये उक्त खाते की भूमि में से वादीगण एवं प्रतिवादी न0 1 ता 5 के जमाबन्दी में दर्ज हिस्से के मुताबिक भूमि का स्पष्ट नक्शा सहीत विभाजन प्रस्ताव वादीगण एवं प्रतिवादी न0 1 ता 5 का अलग–2 तैयार कर प्रस्तुत करे ताकि विभाजन प्रस्ताव का अंतिम आदेश व डिक्री जारी की जा सके ।

नोज ...×.....मुबलिग ...×.....बाबत .....×......खर्चा इस [illegible] दम [illegible] मय सूद बशहर ...×......फसदो की पालना......×........आज की तारीख से [illegible] को [illegible] अदा करे ।

बसिन्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक ....02.2025 को जारी की गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.02.12 11:12:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)